भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 493

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न

493.डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान आज तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर दादरा और नगर हवेली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीएमजीकेएवाई का क्या प्रभाव है;

(ग) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत निर्बाध खाद्यान्न वितरण के लिए रसद और आपूर्ति श्रृंखला तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) पीएमजीकेएवाई वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लीकेज को कम करने के लिए एकीकृत तकनीकी हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार हैं:

...2/-

वित्तीय वर्ष	पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या (लाख में)
2020-21 (दिनांक 31.03.2021) तक की स्थिति के अनुसार	7932.80
2021-22 (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)	7972.53
2022-23 (दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार)	8010.70
2023-24 (दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार)	8049.94
2024-25 (दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	8056.05
2025-26 (दिनांक 01.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	8056.05

(ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 75% तक ग्रामीण और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं। पीएमजीकेएवाई के तहत, जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जिसमें सबसे गरीब परिवार 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह के पात्र हैं, वहीं प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह के पात्र हैं। वर्तमान में, 81.35 करोड़ लाभार्थियों के अपेक्षित कवरेज की तुलना में, 80.56 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।

केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और उनकी सहायता हेतु कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान प्रदान करने का निर्णय लिया था। निःशुल्क खाद्यान्नों के वितरण की अवधि को दिनांक 01 जनवरी 2025 से पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

...3/-

पीएमजीकेएवाई के तहत, लाभार्थियों का कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और ज़रूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिले। निःशुल्क खाद्यान्न का प्रावधान समाज के प्रभावित वर्गों की वित्तीय कठिनाइयों को स्थायी रूप से कम करता है और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित करता है।

दादरा और नगर हवेली (सिलवासा नगर पालिका और दादरा पंचायत) के शहरी क्षेत्रों में, पीएमजीकेएवाई को प्रत्यक्ष नकद अंतरण पद्धति में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खाद्य सब्सिडी के बराबर नकद (अर्थात चावल के लिए 43.28 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 30.31 रुपये प्रति किलोग्राम) लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे प्रदान किया जाता है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र के शेष भाग में, लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

(ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होती है, जो केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो तक उनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों के वितरण और उचित दर दुकानों (एफपीएस) की कार्यप्रणाली की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की प्रचालनात्मक ज़िम्मेदारियाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की हैं।

(घ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (एनएफएसए), 2013 की धारा 12 के अनुरूप, पीएमजीकेएवाई वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लीकेज को कम करने के लिए टीडीपीएस में किए गए सुधारों में राशन कार्ड/लाभार्थियों का डाटाबेस का डिजिटलीकरण, डिजिटल डेटाबेस में विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना, खाद्यान्नों का ऑनलाइन आबंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, उचित दर दुकानों का स्वचालन, राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी, रिकॉर्ड्स की पूर्ण पारदर्शिता और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना शामिल है।

****